(27)

(45)

O/C light
2316

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/ 10573-10757 दिनांक :- 30.04.2015

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषय :- नई सोडियम लाइट व ट्यूबलाईट फिटिंग्स क्रय नही करने बाबत्।
सन्दर्भ :- राज्य सरकार द्वारा रोड लाईट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत योजना के तहत EESL के मध्य संपादित MoU के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य की समस्त निकायों हेतु Energy Efficient street light (LED) लगाने के लिए राज्य सरकार एवं EESL के मध्य एमओयू दिनांक 23.01.2015 को किया जा चुका है, जिसकी पालना में प्रथम चरण में राज्य की 16 नगर निकायों द्वारा तथा द्वितीय चरण में दिनांक 10.04.2015 को 39 नगर निकायों द्वारा MoU संपादित किया गया है। EESL द्वारा शीघ्र ही LED लाईट लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रोजेक्ट के तहत पुरानी विद्यमान सोडियम लाईट/ट्यूब लाईट फिटिंग के स्थान पर EESL द्वारा नई LED लाईटस लगाई जावेगी।

भविष्य में सभी जगह स्ट्रीट लाईट के रूप में LED लाईटस का उपयोग किया जाना है, अतः नगर निकायों द्वारा भविष्य में नई सोडियम एवं ट्यूबलाईट फिटिंग क्रय नहीं की जावें।

वर्तमान में विद्यमान सोडियम एंव ट्यूब लाईट के रखरखाव के लिए लिमिटेड आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री ली जा सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से चालू होने के पश्चात सोडियम एवं ट्यूब लाईट के समान भी क्रय नही किये जावें।

अतः उपरोक्त निर्देशों की पालना प्राथमिकता करते हुये ऊर्जा बचत योजना को सफल बनावे।

29/4/15
(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 2015 10758-66 दिनांक :- 30.04.2015
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक संयुक्त सचिव,स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. एम.डी. डिस्कॉम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
4. महाप्रबन्धक EESL को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऐसे निकाय जिनके लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उनमें पुरानी सोडियम्स एवं ट्यूब लाईट्स की नीलामी की जा कर, नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि सम्बन्धित निकायों को हस्तांतरण किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय, राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) नगर निगम, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव